पत्रांक–13/नि. वि. (बैठक)–30/2017 - 884/नि.

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

बाल मुकुन्द झा, (भा.प्र.से.)
निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी उपायुक्त–सह–जिला निबंधक,
सभी जिला अवर निबंधक,
सभी अवर निबंधक, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 9-11-17

विषय :– **निबंधन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज में अंचल कार्यालय से संबंधित पंजी–II के पृष्ठ संख्या एवं वॉल्यूम संख्या के अनिवार्य वर्णन के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक–742/नि., दिनांक–05.09.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि :–

1. Ease of Doing Business कार्यक्रम अन्तर्गत निबंधन कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं शहरी निकाय के डाटा की मैपिंग के उद्देश्य से विभागीय पत्रांक–742/नि., दिनांक–05.09.2017 द्वारा निदेशित किया गया था कि भूमि के निबंधन से संबंधित दस्तावेज एवं डाटा इंट्री में रजिस्ट्रर–II का वॉल्यूम संख्या तथा पृष्ठ संख्या का वर्णन अनिवार्य है।

2. इस संबंध में उपायुक्त–सह–जिला निबंधक, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक–579, दिनांक–12.10.2017, जिला अवर निबंधक, धनबाद के पत्रांक–2082, दिनांक–12.09.2017 एवं जिला अवर निबंधक, रांची का पत्रांक–822 दिनांक–05.10.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सरकारी भूमि के खनन कार्य हेतु लीज दस्तावेज, बालूघाट निलाम पट्टा, कोओपोरिटव, RIADA, BIADA, हाउसिंग बोर्ड आदि से संबंधित रजिस्ट्रर–II संधारित नहीं रहने के कारण उनका निबंधन बाधित है।

3. इस संबंध में सूचित करना है कि सरकारी भूमि/खासमहल का भू–हस्तांतरण/लीज बंदोवस्ती/सैरात बंदोवस्ती/राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग के नाम से खतियानी भूमि, भू–अर्जन से प्राप्त भूमि आदि रेंट फ्री होती है, जिसकी प्रविष्टि पंजी–II में नहीं होती है तथा जिसका लगान रसीद निर्गत नहीं किया जाता है। वैसी भूमि से संबंधित निबंधन हेतु अलग–अलग पंजियों का संधारण किया जाय ताकि निबंधन में उक्त संधारित पंजियों में उल्लेखित क्रमांक/आदेश संख्या/पृष्ठ संख्या को दस्तावेज में उल्लेखित करते हुए निबंधन संपादित कराया जा सके।

4. इस प्रकार की भूमि के निबंधन से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज एवं डाटा इंट्री में पंजी–II का पृष्ठ संख्या एवं वॉल्यूम संख्या वर्णित करना अनिवार्य नहीं होगा।

5. उपरोक्त वर्णित भूमि के अतिरिक्त यदि पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य प्रकार की भूमि के संबंध में वर्णित किया जाता है कि उस भूमि की पंजी–II संधारित नहीं है तो निबंधन पदाधिकारी इस संबंध में संबंधित अंचलाधिकारी को ई–मेल द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखेंगे, जिसकी प्रति संबंधित अपर समाहर्त्ता को भी प्रेषित किया जाएगा।

6. संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर ई–मेल के माध्यम से प्रतिवेदन संबंधित निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा तथा उस प्रतिवेदन की एक प्रति संबंधित अपर समाहर्त्ता को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

7. अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत निबंधन पदाधिकारी बिना पंजी–II के पृष्ठ संख्या एवं वॉल्यूम संख्या की प्रविष्टि कराये ही निबंधन संपादित करेंगे तथा अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन को दस्तावेज के साथ संलग्न कर स्कैन कर अपलोड करेंगे।

विश्वासभाजन

9.11.17

(बाल मुकुन्द झा)
निबंधन महानिरीक्षक।

ज्ञापांक :13/नि. वि. (बैठक)–30/2017 – 884/नि० रॉंची, दिनांक : 9-11-17

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलों के आयुक्त, झारखण्ड/सभी अपर समाहर्त्ता, झारखण्ड/सभी अंचलाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9.11.17

निबंधन महानिरीक्षक।

ज्ञापांक :13/नि. वि. (बैठक)–30/2017 – 884/नि० रॉंची, दिनांक : 9-11-17

प्रतिलिपिः सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

9.11.17

निबंधन महानिरीक्षक।

I.G Lett-2017 Sonu